दक्षिण रेलवे/SOUTHERN RAILWAY

सं./No.P(R)563/P/DRQ/Genl.

प्रधान कार्यालय/ Headquarters Office
कार्मिक शाखा/ Personnel Branch
चेन्नै/Chennai - 600 003
दि./ Dated: 18-02-2014

पी बी सी सं/ PBC No: 16 / 2014

All PHODs / DRMs / CWMs / CEWE / CAO / CPM / Dy.CPOs / Sr.DPOs / DPOs / SPOs / WPOs / APOs of HQ / Divisions / Wokshops / other Units, etc.,
(As per mailing list –'A')

विषय/Sub: Streamlining of working of RRBs – Holding of common RRB examination for the ALP & Technician.

******

A copy of Railway Board's letter No.2013/E(RRB)/25/28 dated 17-01-2014 on the above subject is enclosed for information, guidance and necessary action.

(V.SRINIVASAN)
वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी/नियम
Senior Personnel Officer/Rules
कृते मुख्य कार्मिक अधिकारी
For Chief Personnel Officer

संलग्न/Encl: as above

प्रतिलिपि/Copy to : The Genl.Secy. SRMU
The Genl.Secy. AISCSTREA
The Genl.Secy. AIOBCREA

The Genl Secy NFIR

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD)

RRCB NO. 01/2014

No. 2013/E(RRB)/25/28 New Delhi, Dated. 17.01.2014

The Chairpersons,
All Railway Recruitment Boards.

Sub.: Streamlining of working of RRBs-Holding of common RRB examination for the ALP & Technician.

Ref.: Board's letter No.2009/E(RRB)/25/20 dated 28.10.2009 (RRCB No. 04/2009).

Vide Board's letter under reference comprehensive orders on the streamlining of functioning of RRB were issued. This process has been under constant review and scrutiny based on the experiences of examination held against CEN of 2010, 2011 & 2012 so that the RRBs exams can be held in more efficient and cost effective manner. It has been noticed that minimum educational qualification for the two categories of ALPs & Technicians being common (i.e. ITI in the relevant trade) , most of the candidates applying for these categories are common. Still, conventionally two different notifications and exams have been issued/organized for these two categories separately. This results in holding two different exams for same set of candidates on two different occasions and also if the candidate is selected in both the exams, he joins against one category of posts leaving the other vacant. This is also one of the reasons for short Panels.

2. To streamline and standardize selection procedure and also to address the problem of short panels in critical safety categories like ALP & Technicians, Board has decided for holding a common RRB examination for the ALP and Technicians categories from 2014 onwards For this, the following changes in the existing recruitment system are being introduced with immediate effect.

(i) Nodal RRB/Chennai will issue a common Centralized Employment Notification on behalf of all the participating RRBs for these two categories of post viz. ALPs & Technicians.

(ii) For the selection of ALP & Technician, a common written examination will be conducted on the same day simultaneously by all the participating RRBs in one or more sessions depending upon the numbers of candidates applying for the examination on that RRB.

3. A common structure of question papers for the written examination of the categories of ALP & Technicians should be followed/adopted as detailed under, which is in supersession of Boards letter No. 2009/E(RRB)/25/20 pt. dated 05.01.2011(RRCB No. 1/2011) for these two categories :

Post	Times in Minutes	No. of questions					
ALP & Technician		Gen. Awareness	Arithmetic	Gen. Intelligence & reasoning	General Science	Technical Ability	Total
	90	20	20	15	15	30	100

4. As per the existing instructions, candidates to the tune of five times the vacancies are short listed for appearing in the Psycho- Tests for ALPs. It has now been decided that the number of candidates to be short-listed for Psycho Test may be increased to eight times of the vacancies subject to securing minimum qualifying marks prescribed for respective community in the written examination on the same lines as ASMs communicated vide Board's letter No. 2013/E(RRB)/25/23 dated 08.10.2013 (RRCB No. 1/2013)

5. With a view to avoid shortfall while preparing the panels, if any, the zone of stand by/waiting list is also being increased from present 30% to 50% for the above mentioned categories combined together

6. It should be clearly brought out in all the communications to the candidates that a candidate once empanelled for any of the posts depending on his choice/merit position will not be considered for alternative appointment later if he is found medically unfit. Therefore, the candidates, in their own interest, should satisfy themselves about fulfilling the prescribed medical standards before opting for various posts.

These modifications are issued with the approval of Board and may be implemented from CEN01/2014 onwards.

(A.S. Bhatnagar)
Joint Director, Estt. (RRB)
Railway Board

भारत सरकार (GOVERNMENT OF INDIA)

रेल मंत्रालय(MINISTRY OF RAILWAYS)

(रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD)

आरआरसीबी सं. 01/2014

सं.2013/ई(आरआरबी)/25/28 नई दिल्ली, दिनांक 17.01.2014

अध्यक्ष,
सभी रेलवे भर्ती बोर्ड.

विषय : रेलवे भर्ती बोर्डों की कार्यप्रणाली को सुचारु बनाना - सहायक लोको पायलट (ALP) तथा तकनीशियनों (Technicians) के लिए रेलवे भर्ती बोर्ड की एक ही परीक्षा का आयोजन करना.

संदर्भ : बोर्ड का दिनांक 28.10.2009 का पत्र सं.2009/ई(आरआरबी)/25/20 (आरआरसीबी सं.04/2009).

बोर्ड के संदर्भाधीन पत्र के माध्यम से रेलवे भर्ती बोर्ड की कार्यप्रणाली को सुचारु बनाने के लिए व्यापक आदेश जारी किए गए थे. वर्ष 2010, 2011 और 2012 की केंद्रीयकृत रोजगार अधिसूचना (CEN) के लिए आयोजित की गई परीक्षाओं के अनुभव के आधार पर इस प्रक्रिया की निरन्तर समीक्षा और जांच की गई है ताकि रेलवे भर्ती बोर्ड की परीक्षाओं को अधिक कुशलता तथा लागत प्रभावी तरीके से आयोजित किया जा सके। यह देखा गया है कि सहायक लोको पायलट (ALP) और तकनीशियनों (Technicians) की दो कोटियों के लिए शैक्षणिक अर्हता समान (अर्थात् संगत ट्रेड में आई टी आई) होने के कारण इन कोटियों के लिए आवेदन करने वाले अधिकांश उम्मीदवार कॉमन (Common) होते हैं। तथापि परम्परागत तौर पर इन दो कोटियों के लिए दो अलग-अलग अधिसूचनाएं जारी की गई हैं तथा दो अलग-अलग परीक्षाएं आयोजित की गई हैं. इसके परिणामस्वरूप एक ही वर्ग के उम्मीदवारों के लिए दो अलग-अलग अवसरों पर दो अलग-अलग परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं और यदि किसी उम्मीदवार का दोनों परीक्षाओं में चयन हो जाता है तो वह केवल एक ही कोटि के पद पर ज्वाइन करता है और दूसरा पद रिक्त रह जाता है। पैनलों में कमी होने का एक कारण यह भी है।

2. चयन प्रक्रिया को सुचारु बनाने तथा उसका मानकीकरण करने और सहायक लोको पायलट (ALP) तथा तकनीशियनों जैसी महत्वपूर्ण संरक्षा कोटियों में पैनलों में कमी होने की समस्या का समाधान करने के लिए बोर्ड ने विनिश्चय किया है कि वर्ष 2014 से सहायक लोको पायलट (ALP) और तकनीशियनों की कोटियों के लिए रेलवे भर्ती बोर्ड की एक कॉमन परीक्षा आयोजित की जाए। इसके लिए वर्तमान भर्ती प्रणाली में तत्काल प्रभाव से निम्नलिखित परिवर्तन किए जाते हैं:

(i) नोडल रेलवे भर्ती बोर्ड/चेन्नई द्वारा इन दो कोटियों के पदों अर्थात् सहायक लोको पायलट (ALP) तथा तकनीशियनों के लिए सभी सहभागी रेलवे भर्ती बोर्डों की ओर से एक कॉमन केन्द्रीकृत रोजगार अधिसूचना जारी की जाएगी.

(ii) सहायक लोको पायलट (ALP) तथा तकनीशियन के चयन के लिए सभी सहभागी रेलवे भर्ती बोर्डों द्वारा एक साथ एक ही दिन उस रेलवे भर्ती बोर्ड में परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की संख्या के आधार पर एक अथवा एक से अधिक सत्रों में एक कॉमन (Common) लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा.

3. सहायक लोको पायलट (ALP) तथा तकनीशियनों की कोटियों की लिखित परीक्षा हेतु प्रश्न पत्रों के लिए नीचे दिये गये अनुसार कॉमन संरचना का पालन किया जाना चाहिए/कॉमन संरचना अपनायी जानी चाहिए. यह इन दो कोटियों के लिए बोर्ड के दिनांक 05.01.2011 के पत्र सं. 2009/ई(आरआरबी)/25/20 पार्ट (आरआरसीबी सं. 01/2011) के स्थान पर है:

पद	समय मिनट में	प्रश्नों की संख्या					
		सामान्य जानकारी	अंकगणित	सामान्य बुद्धिमत्ता और तर्क योग्यता	सामान्य विज्ञान	तकनीकी योग्यता	कुल
सहायक लोको पायलट (ALP) एवं तकनीशियन	90	20	20	15	15	30	100

4. वर्तमान अनुदेशों के अनुसार रिक्तियों के पांच गुणा उम्मीदवारों को सहायक लोको पायलट (ALP) की मनोवैज्ञानिक परीक्षा के लिए उपस्थित होने के लिए शॉर्ट-लिस्ट किया जाता है. अब यह विनिश्चय किया गया है कि मनोवैज्ञानिक परीक्षा के लिए शॉर्ट-लिस्ट किए जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या को बढ़ाकर रिक्तियों का आठ गुणा किया जाए. यह बोर्ड के दिनांक 08.10.2013 के पत्र सं.2013/ई(आरआरबी)/25/23 (आरआरसीबी सं.1/2013) के माध्यम से संसूचित सहायक स्टेशन मास्टर (ASM) की भांति ही लिखित परीक्षा में संबंधित वर्ग में निर्धारित न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त करने के अध्यधीन होगा.

5. पैनलों में कमी, यदि कोई हो, की स्थिति से बचने के लिए उन्हें तैयार करते समय उपर्युक्त कोटियों के लिए एकसाथ मिलाकर स्टैण्ड बाई/वेटिंग लिस्ट का दायरा भी वर्तमान 30% से बढ़ाकर 50% किया जा रहा है.

6. उम्मीदवारों के साथ किए जाने वाले सभी पत्र व्यवहारों में यह स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिए कि किसी उम्मीदवार को उसके विकल्प/मेरिट स्थिति के आधार पर एक बार किसी पद के

पैनल में रख दिए जाने के बाद यदि उसे मेडिकल आधार पर अनफिट पाया जाता है तो इसके पश्चात् उसे वैकल्पिक नियुक्ति देने पर विचार नहीं किया जाएगा। अतः उम्मीदवारों को अपने स्वयं के हित में विभिन्न पदों का विकल्प देने से पहले निर्धारित मेडिकल मानदण्डों को पूरा करने के संबंध में स्वयं को संतुष्ट कर लेना चाहिए।

इन संशोधनों को बोर्ड के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है और इन्हें केंद्रीयकृत रोजगार अधिसूचना (CEN) 01/2014 से कार्यान्वित किया जाए.

(ए.एस.भटनागर)
संयुक्त निदेशक, स्थापना (आरआरबी)
रेलवे बोर्ड